



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com



पत्र सं०-1429 / नि० 0910-11/2015-14 AP-7 दिनांक-25/06/2015

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री राजेश कंसल

S/O श्री श्याम लाल कंसल

319, लखनपुर

कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड सं०- M/COMM-31, योजनासं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के
भूखण्ड के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यावसायिक भूखण्ड संख्या-M/COMM-31, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.6.15 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-11/2015-16
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 25/6/15 से 24/6/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर का निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट + भूतल + 02 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 977.74 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 615.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वैस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।

(2)

14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (01 नग शीट)।
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट (156 पृष्ठ)

(अरविन्द देव आर्य)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 25-06-15

पृ0सं0: 1429 /उक्त/
प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक: यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक

25.06.2015

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं- 1963 / मि०प्र०-02/2015/

दिनांक-08/08/2015

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री रमेश सिंह परिहार
21, प्रेम बगीचा, निकट गुरुदेव पैलेस
विनायकपुर, कानपुर।

विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- O/GH/Ar-350,352, सेक्टर- ओ, केशवपुरम्, योजना संख्या-1
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-O/GH/Ar-350,352, सेक्टर-ओ, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.07.15 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या- 02/2015 के अनुसार एवं मुख्य वास्तुविद् नियोजक/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म०) के द्वारा दिनांक 15.07.2015 को प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 02/08/2015 से 02/08/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट + स्टिल्ट + 04 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 6521.71 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 2942.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा-2

10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या- 2014/2974/के0एन0सी0/कानपुर नगर/135/सी0एफ0ओ0/दिनांक 30.10.2014 द्वारा निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों के अनुक्रम में अनुज्ञा निर्गत की जा रही है। भवन के स्थल पर आर्किटेक्चरल मानचित्र के अनुसार निर्मित हो जाने के उपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उक्त निर्मित भवन के सापेक्ष अंतिम रूप से निर्गत अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके उपरान्त ही पूर्णतः प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
13. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
19. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सैट (03 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (06 नग शीट)।
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट (257+315 = 572 पृष्ठ)।
4. अग्निशमन मानचित्रों का एक सैट (03 नग शीट)

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: 1963 /उक्त/

दिनांक: 03/8/2015

- प्रतिलिपि: 1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट एवं प्रपत्र-च सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

Received
3-8-15

03.8.15
वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 2102 /नि.प्र.-14/15-16 /जा.नि.-7 दिनांक- 18/08/2015

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री आदर्श कुमार
s/o स्वर्गीय स्वरूप नारायण
ग्राम-गांगपुर, पोस्ट-गजना,
कानपुर नगर।

विषय:-प्रीमियम भूखण्ड संख्या-M/PR-61 योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-61 योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.07.15 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-14/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 18/8/2015.....से 17/8/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल + 02 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 449.37 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 447.70 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
17. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 18.8.2015

पृ0सं0: 2102 /उक्त/
प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 20, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



शेरोखन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी कॉम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com



पत्र सं०- 2103 / नि.प्र.०-13/15-16 / न.नि.०-7 दिनांक- 18/08/2015

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती मिथलेश कुमारी
w/o स्वर्गीय स्वरूप नारायण
ग्राम-गांगूपुर, पोस्ट-गजना,
कानपुर नगर।

विषय:-प्रीमियम भूखण्ड संख्या-M/PR-62 योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-62 योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.07.15 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-13/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 18.08.2015 से 17.08.2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल + 02 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 434.25 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 438.85 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
17. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

पृ०सं०: 2103 /उक्त/
प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्थ)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक: 18-8-2015

वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



संशोधन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो 15700



पत्र सं०-2293/100910-17/2015-16 दिनांक-03/09/2015
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती नीतू अग्रवाल

w/o श्री अजय कुमार अग्रवाल

फ्लैट न०-705, स्वेता अपार्टमेंट,

117/एच-1/499, पाण्डूनगर,

कानपुर।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड संख्या-M/PR-56, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र
स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-56, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13.08.15 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-17/15-16
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 03/9/15 से 02/9/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भू-तल + 02 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 444.07 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 438.08 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
17. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

पू०सं०: 2293 /उक्त/
प्रतिलिपि:

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

(अरविन्द देव/आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक: 03/9/2015

वास्तुविद नियोजक

IS 15700-2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 3328 / नि०प्रा० 26 / 2015-16 दिनांक- 29 / 12 / 2015
उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री सुनील कुमार कटियार व श्री फूल सिंह,
343/12 शास्त्री नगर,
कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-L/Comm-20, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- L/Comm-20, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2015 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-
26/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 29/12/15 से 28/12/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्रा०
आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 577.27 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान
की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और
यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की
सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना
होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,
जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।


कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सैट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स एवं गणना का एक सैट।

भवदीय



(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 29/12/15

पृ०सं०: 3328 /उक्त/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।



वास्तुविद नियोजक

Arvind

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०-3329/ 10/09/10-31 / 2015-16 दिनांक- 12/2015
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री वीरपाल सिंह,
S/O श्री चेताराम,
ग्राम-अडंगापुर,
पोस्ट-पैदावाद, जिला-कन्नौज।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-I/Comm-4, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- I/Comm-4, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2015 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-
31/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 29/12/15 से 28/12/2020 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र०
आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 577.27 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान
की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और
यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की
सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना
होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,
जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।


कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स एवं गणना का एक सेट।

भवदीय



(अरविन्द देव आर्य)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 29/12/15

पूरा सं: 3329 / उक्त /

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।



वास्तुविद नियोजक

29/12/15



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email: architectplanner7@gmail.com



पत्र सं०- 240 / 13/01/2016 / OS दिनांक- 29/01/2016
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री हरी किशन ओबराय,
डायरेक्टर,
मैसर्स शन्टी बन्टी ऑटोमोबाइल्स प्रा0लि0,
123/474, फज़लगंज, कालपी रोड,
कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-L/Com-28, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- L/Comm-28, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या- 05/2015
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 29/01/16 से 28/01/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट, भू-तल एवं प्रथम तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 498.31 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 29/11/2016


पू0सं0: 240 /उक्त/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक





IS 15700:2005



बीबीएम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
Email-architectplanner7@gmail.com

भारतीय मानक मण्डल IS 15700



पत्र सं०-463 / 10/30/2015/16 दिनांक-22/2/2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती करुणा देवी,
W/O श्री एन० एस० चौहान,
107/2 विजय नगर,
कानपुर।

विषय:-प्रीमियम भूखण्ड संख्या-L/PR-9, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र
स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या-L/PR-9, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी
आपके आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या- 30/2015-16 के
अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 22/2/16 से 21/2/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र०
आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावधि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट + ग्राउण्ड+प्रथम तल तथा मगटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 480.44 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 419.25 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान
की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और
यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की
सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना
होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,
जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बाड़ आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वैस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
17. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पू०सं०: 462 / उक्त।

दिनांक:

22/2/2016.

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक

22.2.16

IS: 15700:2005



वीबीएन प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-ap7@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 590 / नि० 910-39 / 15-16 दिनांक- 02/03/2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती नीलम गुप्ता,
W/O श्री बृजेश कुमार गुप्ता,
पीपल वाली गली,
जी०टी० रोड,
बेवर, मैनपुरी, (उ०प्र०)।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-G/C-65, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- G/C-65, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या- 39/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 02/3/16 से 01/3/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट, भू-तल, प्रथम तल एवं ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 265.30 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 235.80 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।


कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार मूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरचा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय


(अरविन्द देव शर्मा)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 02/3/2016


पृ0सं0: 590 /उक्त/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।


वास्तुविद नियोजक


02/03/2016

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

Email-ap7@upavp.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 648 / 15-16

दिनांक- 09/03/2016

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री रमिन्दर सिंह,
S/O स० इन्दरजीत सिंह,
119/85A बम्बा रोड,
गुमटी नं०-5, कानपुर।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड संख्या- L/PR-13, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- L/PR-13, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.03.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-34/2015-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 09/3/16 से 08/3/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये सशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल + द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 514.84 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 415.50 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
17. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक: 09/3/16

पृ०सं०: 648 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- यथोक्त।

वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

-कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7

नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 1820 / नि०प्र०/15-16 दिनांक-28/6/2016

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती माया गुप्ता,
W/O श्री शशि कुमार गुप्ता,
117/K-137 A अम्बेडकर नगर,
काकादेव कानपुर।

**विषय:-प्रीमियम भूखण्ड संख्या- L/PR-16, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- L/PR-16, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 02.06.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-20/2015-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 28/6/2016 से 27/6/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 370.61 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 458.84 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।


कमश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
17. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय


(अरविन्द देव आर्थ)

वास्तुविद नियोजक


दिनांक 28/6/2016

पू०सं०: 1820 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। 28.6.16

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


वास्तुविद नियोजक
28.6.16

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 2586 / 18/2010. 24/29/15-16 दिनांक- 26/8/2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री रामफेर तिवारी,
पुत्र स्व० राम सुन्दर तिवारी,
123 ए, कल्याणपुर कला,
कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-G/C-53, योजना सं०-1, केशवपुरम, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- G/C-53, योजना सं०-1, केशवपुरम, कानपुर में आप द्वारा पूर्व स्वीकृत निर्माण पैरामीटर के संशोधन की मांग करते हुए मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गए थे। आप द्वारा किए गए अनुरोध पर मुख्य वास्तुविद् नियोजक (म०) द्वारा निर्धारित ऊँचाई के अंतर्गत जी+2 तलों की स्वीकृति हेतु दिनांक 17.02.2016 को अनुमोदन प्रदान किया गया। निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-24/2015-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 26/8/16 से 25/8/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 297.52 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल 247.06 के लिए वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

कमरा:-2

9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)

वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0:

/उक्त/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 2924 / नि०प्र०-35/41/15-16 दिनांक- 3/10/2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती अंजना कुशवाहा,
पत्नी श्री कुवर सिंह,
प्लॉट नं०-12, प्रेम बगीचा,
विनायकपुर, कानपुर।

विषय:-प्रीमियम भूखण्ड संख्या-M/PR-6, योजना संख्या-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-6, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर
संख्या-41/2015-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 3/10/16 से 2/10/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 308.43 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 255.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 3/10/2016

पृ0सं0: 2924 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 1032/ 100प्रो-2015/16/16 दिनांक-18/4/2017
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,
निदेशक
मै० ईगल व्यापार प्रा०लि०
श्रीमती रूचि जैन,
117/H-2/177, पाण्डुनगर,
कानपुर।

विषय-व्यवसायिक भूखण्ड सं० : L/COM-38, सेक्टर-एल, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

यवसायिक भूखण्ड सं० : L/COM-38, सेक्टर-एल, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण
करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2017 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-
16/15-16 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 18/4/17 से 17/4/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17,
उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट + भूतल + प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 720.58 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 478.50 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान
की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और
यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की
सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना
होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,
जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमशः-2


-2-

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना का एक सेट।

भवदीय


(अरविन्द देव)
वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 1032 /उक्त/

दिनांक 18/4/17

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
 2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।


01 वास्तुविद नियोजक
18/04/17

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०-1918 / 100510 / 2016 दिनांक-06/7/2016

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री सुनील अग्रवाल,
मै० स्वास्तिक इन्वेस्टमेन्ट एण्ड डेवलपर्स,
128/128, एच-ब्लाक,
किदवई नगर, कानपुर।

विषय:- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-M/Comm-32, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- M/Comm-32, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.06.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या- 2/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 06/7/16 से 05/7/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्रा० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेण्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 668.05 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की माँग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद् द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद् के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद् व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद् से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स एवं गणना का एक सेट।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद् नियोजक

दिनांक : 6/7/16

पृ०सं०: 1918 /उक्त/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।


06/07/16


वास्तुविद् नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०-2334 / नि०प्रा०/खर०-03 / 16-17 दिनांक-02/08/2016

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री जयेश सोनकर,
पुत्र, श्री अजय सोनकर,
117/एच-2/188,
पाण्डुनगर, कानपुर।

विषय:- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-LComm-24, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-LComm-24, योजना सं०-1, केभावपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 04.07.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-3/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 02/08/16 से 01/08/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेण्ट, भू-तल, प्रथम एवं द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 665.32 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की माँग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

10. यदि परिषद् द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद् के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद् से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स एवं गणना का एक सेट।

भवदीय

(Handwritten Signature)

dc (अरविन्द देव आर्य)

वास्तुविद नियोजक

दिनांक *22/08*

पृ0सं0:

/उक्त/

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

*Received.
True copy.
map sanctioned.
and structural
report. on 22/8/16
Joshi
22/8/16*

dc

वास्तुविद नियोजक

22/08



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०-2336 / नि०प्र=2016 / 4 दिनांक- 02/ 8 / 2016

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती निवेदिता वर्मा,
पत्नी, श्री अरुण कुमार,
जी-1457, आवास विकास, यो०सं०-1,
कल्याणपुर, कानपुर

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-L/Comm-19, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या-L/Comm-19, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 07.07.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या- 4/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 02.08.2016 से 01.08.2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट, भू-तल, प्रथम तल एवं ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 577.27 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 450.00 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटनी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना का एक सेट।

भवदीय
02/08

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक
KLLS

पू०सं०: 233B / उक्त/ दि. 5/10/2016/4 दिनांक : 2.8.2016
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

जि.सि. नि.म. एस. जति
Nivedita Venu.
9/8/16

वास्तुविद नियोजक
KLLS
02/08



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 855 / स.प.05/16-17 दिनांक- 31/3 /2017

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री अजीत कुमार कटियार,
पुत्र श्री जगदीश नारायण कटियार,
46, लखनपुर हाउसिंग सोसायटी, लखनपुर,
विकास नगर, कानपुर।

विषय:- व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : GC-89, योजना सं०-1, केशवपुरम, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : GC-89, योजना सं०-1, केशवपुरम, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 27.03.2017 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या-5/2016-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 31/3/17 से 29/3/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भूतल + प्रथम तल, तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 220.50 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 213.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सेट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना का एक सेट।

पृ०सं०:

855

/उक्त/

31/3/22 दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द्र देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



शेकोलम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 2578 / 10090-6/2016-17/ दिनांक-26/8 / 2016
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री विकास अग्रवाल,
पुत्र श्री आर0के0 अग्रवाल,
M-5, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेण्ट
12, A रतनलाल नगर, कानपुर-22

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड संख्या- L/PR-12, योजना संख्या-1, केशवपुरम, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- L/PR-12, योजना सं०-1, केशवपुरम, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2016 के क्रम में नि0प्र0 आदेश रजिस्टर
संख्या-06/2016-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 26/8/16 से 25/8/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 660.47 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल 569.89 के लिए वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय


(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक :

23/08/16 26/8/16

पृ०सं०: 2578 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।



वास्तुविद नियोजक
23/08/16

IS 15700:2005



संयोजित प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्र सं०- 1020 / वा0नि0-7 / नि0प्रा0-10 / 2017 दिनांक- 13-4-17
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री मोहनलाल गुप्ता,
E/GP-2, योजना सं०-3,
कल्याणपुर, कानपुर।

**विषय-गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० : E/GP-2, योजना संख्या-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

गुप हाउसिंग भूखण्ड सं० : E/GP-2, योजना सं०-3, अम्बेडकरपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 03.04.2017 के क्रम में नि0प्रा0 आदेश रजिस्टर संख्या-10/16-17 के अनुसार एवं दिनांक 31.01.2017 को आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में संपन्न उच्च स्तरीय समिति की बैठक में प्रदान किए गए अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 13-4-17 से 12-4-2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट + स्टिल्ट + 07 तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 12910.53 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 4705.74 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश-2

10. मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या- 2017/27913/कै0एन0सी0/कानपुर नगर/681/सी0एफ0ओ0/दिनांक 25.03.2017 द्वारा निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में अंकित शर्तों के अनुक्रम में अनुज्ञा निर्गत की जा रही है। भवन के स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित हो जाने के उपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी से उक्त निर्मित भवन के सापेक्ष अंतिम रूप से निर्गत अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसके उपरान्त ही पूर्णत प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने पर विचार किया जा सकेगा।
11. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
13. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
15. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
16. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
17. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
18. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
19. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्रों का एक सैट। (13 नग)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट। (17 नग)
3. स्ट्रक्चरल गणना का एक सैट। (201 पृष्ठ)
4. अग्निशमन मानचित्रों का एक सैट। (13 नग)

भवदीय

(अरविन्द देव)

वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: 1020 /उक्त/

दिनांक : 13/4/17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फजलगंज, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सेट एवं प्रपत्र-च सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।

Ram
13/4/17

वास्तुविद नियोजक
13/04

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

मानक मानक नूतने IS 15700



पत्र सं०-2895 / नि०प्रा०-48/12/2016/17 दिनांक-30/9/2016
उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती समता वर्मा,
पत्नी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा,
टाइप-II/141 मेडिकल कालेज,
कैम्पस, कानपुर।

विषय:-प्रीमियम भूखण्ड संख्या-M/PR-1, योजना संख्या-1, केशवपुरम, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-1, योजना सं०-1, केशवपुरम, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21.09.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर
संख्या-12/2016-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 30/9/16 से 29/9/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्रा० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 240.46 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 302.175 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की माँग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमश:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पृ०सं०: 2895 /उक्त/

दिनांक: 30/9/16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

स्वीकृत मानचित्र प्राप्त किया
Sandeep Khatiwala
30/9/16

वास्तुविद नियोजक/30/9/16

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ

Hkkjrh; ekud C;wjks IS



पत्र सं०-2947 /नि०प्रा०-13/2016-17 दिनांक-04/10/2016

उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री राजेश कन्सल व
श्री देवांग कन्सल
मैसर्स योगी इण्टर प्राइजेज,
320, लखनपुर कानपुर

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- O/CP-4/1, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- O/CP-4/1, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 29.09.2016 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर संख्या- 13/16-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 04/10/16 से 03/10/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ०प्रा० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेट, भू-तल, प्रथम तल एवं ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 965.78 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 605.51 वर्गमीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखण्डों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।



कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. आर्किटेक्चरल मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।
2. स्ट्रक्चरल मानचित्र एवं गणना का एक सैट।

भवदीय


(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक


पु0सं0: 2947 /उक्त/

दिनांक : 04/10/2016


प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड- 17, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर का उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्रों के एक सैट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:- यथोक्त।


4/10/2016


वास्तुविद नियोजक




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 4320 / / दिनांक-21 / 11 / 2016
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी,
श्री गजेन्द्र सिंह नेगी, पुत्र श्री दलवीर सिंह नेगी,
श्री सुमित नेगी, पुत्र श्री दलवीर नेगी एवं
श्री शिवचरन सिंह नेगी, पुत्र श्री दलवीर सिंह नेगी,
ए-447, कैलाश विहार, आवास विकास न०-1,
कल्याणपुर, कानपुर।

**विषय:- प्रीमियम भूखण्ड सं० : M/PR-21, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर के मानचित्र
स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

कृपया प्रीमियम भूखण्ड सं०-M/PR-21, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2016 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर संख्या-17/2016-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 21/11/2016 से 20/11/2021 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल तथा द्वितीय तल हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 496.92 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल 483.00 के लिए वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्टले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्टले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0:

/ उक्त /

दिनांक :

21/11/16

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

वास्तुविद नियोजक
21-11-16.

Received
Ajendra Singh
21/11/2016



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी कॉम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 764 / 160910-21/2016-17 दिनांक- 27/3 / 2016

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्रीमती आरती सोनकर,
114, सिविल लाइन्स (यूसुफ क्लब के पीछे)
फतेहपुर।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड सं० : M/PR-02, योजना संख्या-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-02, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 23.03.2017 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर
संख्या-21/2016-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 27/3/17 से 26/3/2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 290.46 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 255.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमशः-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चरपा की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सेट (01 नग शीट)।

भद्रदीप

(अरविन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

दिनांक : 27/3/2017

पृ०सं०: 764 /उक्त/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

वास्तुविद नियोजक

IS 15700:2005



सर्वोत्तम प्रमाणिता

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।



पत्र सं०- 1093 / नि०प्रा०-22/2016-17 दिनांक- 25/04/2017
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

श्री शत्रुघन सिंह,
पुत्र श्री राम लच्छन सिंह
बी-55, अम्बेडकर नगर, विजय नगर।

विषय:- प्रीमियम भूखण्ड सं० : M/PR-10, योजना संख्या-1, केशवपुरम्, कानपुर के
मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रीमियम भूखण्ड संख्या- M/PR-10, योजना सं०-1, केशवपुरम्, कानपुर में निर्माण करने
संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 10.04.2017 के क्रम में नि०प्रा० आदेश रजिस्टर
संख्या-22/2016-17 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक ~~25-4-17~~ से 24-4-2022 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति भूतल + प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 290.48 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 255.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड में प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे, जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कमरा:-2

-2-

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सेट (01 नग शीट)।

भवदीय

07 (असिन्द देव आर्य)
वास्तुविद नियोजक

पृ0सं0: 1093 /उक्त/

दिनांक 25/11/17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-20, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

07 वास्तुविद नियोजक

K. K. K.

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय वास्तुविद् नियोजक
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-7
ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी-ब्लॉक, प्रथम तल,
केशवपुरम्, कल्याणपुर, कानपुर।

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700



पत्र सं०- 61 दिनांक- 14/09/2017

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम-1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स साई डेवलपर्स द्वारा पार्टनर
श्री अमित पाल, श्रीमती मोनिका गुप्ता,
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता व श्री रितेश कुमार गुप्ता,
15/232, सिविल लाइन,
कानपुर।

विषय:-व्यवसायिक भूखण्ड सं० : CP - 0/4/5, सेक्टर-ओ, योजना सं० - 1, केशवपुरम्,
कानपुर के मानचित्र स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

व्यवसायिक भूखण्ड सं० : CP-0/4/5, सेक्टर-ओ, योजना सं० - 1, केशवपुरम्, कानपुर में
निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.09.2017 के क्रम में नि०प्र० आदेश रजिस्टर
संख्या-10/UT-15 /17-18 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 14/09/17 से 13/09/22 तक।
3. निर्माण, स्वीकृत मानचित्र पर लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17,
उ०प्र० आवास विकास परिषद, कानपुर को निर्माण प्रारम्भ करने से 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से
पूर्व सम्पत्ति प्रबंधक से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त करना होगा।
6. यह स्वीकृति बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु प्रदान की जाती है।
7. यह स्वीकृति 863.12 वर्गमीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 527.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड में
प्रदान की गयी है। भविष्य में आप द्वारा इससे अधिक निर्माण क्षेत्रफल की मांग नहीं की
जायेगी और यदि की जाती है तो कुल निर्माण क्षेत्रफल पर तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत
पार्किंग की सुविधा, अग्निशमन सुरक्षा सम्बंधी प्राविधान एवं स्ट्रक्चरल सुरक्षा का प्राविधान
किया जाना होगा। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
8. भूखण्ड के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्धारित स्थान में वाहनों को खड़ा करेंगे,
जिससे कि बगल के भवनों/भूखंडों का मार्ग/आवागमन अवरुद्ध न हो। यदि पार्किंग के
कारण मार्ग अवरुद्ध होता है तो उसकी जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड के सामने कोई बोर्ड आदि लगाकर मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।


कमरा:-2

10. यदि परिषद द्वारा किसी समय यह पाया गया कि भवन में हो रहे क्रियाकलाप से क्षेत्र के निवासियों को कोई असामान्य कठिनाई हो रही है तब उस क्रियाकलाप को रोकने/हटाने हेतु परिषद के निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11. शासनादेश के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।
12. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा।
13. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत निर्देश मान्य होंगे।
14. वैकल्पिक सौर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु व्यवस्था का प्राविधान भी किया जाना होगा।
15. शासनादेश के अनुसार स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. शासनादेश के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधानों/शर्तों का शत-प्रतिशत पालन करना अनिवार्य है जो एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गयी है।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन-सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके तथा डिस्प्ले बोर्ड पर अनुज्ञा अवधि, वास्तुविद व स्ट्रक्चरल इंजीनियर का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
18. भवन के उपयोग से पूर्व परिषद से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

संलग्नक:

1. मानचित्र का एक सैट (01 नग शीट)।

भवदीय


(अरविन्द देव)

वास्तुविद नियोजक
दिनांक: 14/09


पृ0सं0: 61 / उक्त/


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-17, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर को उपरोक्तानुसार स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्पत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, कानपुर।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

Received with Thanks
Section In-charge


वास्तुविद नियोजक
दिनांक: 14/09


14/9/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आई. एस. ओ. 9001-2000 प्रमाणित संस्था
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु
स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सुषम देवी
198.0/5 पनका रोड, लखनऊ
लखनऊ नगर

पत्रांक 204 नि० प्र० 01/2015 दिनांक 27/01/15

प्रीतिप्रभ/भूखण्ड संख्या/खतरा संख्या PR-05 योजना केसलपुरम नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 6/1/2015 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 01
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 27/1/15 से 26/1/2020 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-20 को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु है।
8. यह स्वीकृति 308.43 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 255 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
9. 300 वर्ग मी० से ऊपर रेन वाटरहारवेस्टिंगका प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक

पृ० सं० 204 उपरोक्त 2 वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक
प्रतिलिपि :- तददिनांक 27/1/15

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 20 केसलपुरम उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय अधिसूचना उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

आई. एस. ओ. 9001-2000 प्रमाणित संस्था

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई लखनऊ

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन बनाने हेतु

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी डा० अरुण बाबू
MIS-22 2022-3
वर्ग 2, आनपुर

पत्रांक 860

नि० प्र० 8/2015

दिनांक 5/5/15

निर्माण/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 3/PR-16 योजना अधिकांक प्र० नगर आनपुर

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/05/2015 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 13 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 5/5/15 से 4/5/2020 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्डों पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड 90 को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. यदि इस भवन हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
7. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु है।
8. यह स्वीकृति 396.23 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 330.40 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है। स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति संलग्न है।
9. 300 वर्ग मी० से ऊपर रेन वाटरहारवेस्टिंगका प्राविधान किया जाना होगा।
10. भवन के उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत ही निर्माण प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है।

पृ० सं०

प्रतिलिपि :- 860

उपरोक्त

तददिनांक 5/5/15

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 90 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आनपुर को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय अधिकांक प्र० उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद आनपुर को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक/सहायक
वास्तुविद नियोजक/वास्तुकला सहायक